नागौर, चूरू तथा अजमेर में नवीन राजस्व ग्राम घोषित

चर्चा में क्यों?

5 जनवरी, 2022 को राजस्थान सरकार ने अलग-अलग अधिसूचनाएँ जारी कर चूरू, अजमेर, नागौर ज़िले के मजरों एवं ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया।

प्रमुख बिंदु

- राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार नागौर ज़िले की तहसील कुचामन सिटी के मूल राजस्व ग्राम सबलपुरा को नवीन राजस्व ग्राम नाडापुरा एवं सिधिपुरा को शहीद रामेश्वर नगर नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
- इसी प्रकार अजमेर की तहसील भिनाय के पाडलिया मूल राजस्व ग्राम को गोरधनपरा तथा गुढ़ाखुर्द को इंद्रपुरा नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अजमेर में ही सोमलपुर मूल राजस्व ग्राम को आगला कांकड, शाही, चंदवाला तथा डाली नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
- अधिसूचना के अनुसार चूरू ज़िले के रामदेवरा तथा जसरासर राजस्व ग्राम को जसरासर बास नवीन राजस्व ग्राम घोषित किया गया है।
- इन राजस्व ग्रामों के गठन से प्रभावित मूल एवं नवीन राजस्व ग्राम के अभिलेखों के अलग-अलग संधारण के लिये तथा इनकी पृथक्-पृथक् जमाबंदी, खसरा नंबर एवं नक्शे अभिलेखों के परिशोधन कार्य के लिये संबंधित ज़िलों के कलक्टर को अधिकृत किया गया है।
- राज्य सरकार द्वारा जारी एक अन्य अधिसूचना में चूरू के पटवार मंडल जसरासर एवं नाकरासर का पुनर्गठन किया गया है। जसरासर गाँव के क्षेत्राधिकार में अब जसरासर, रामपुरा बास, दुधवामीठा, जसरासर बास राजस्व ग्राम सम्मिलित होंगे तथा नाकरासर गाँव में नाकरासर तथा रामदेवरा राजस्व ग्राम को सम्मिलित किया जाएगा।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/new-revenue-villages-declared-in-nagaur,-churu-and-ajmer